संख्या-18/2018/1925/46-2-18-45/17

प्रेषक,

पवन कुमार गंगवार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

चीनी उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 5 नवम्बर,2018

विषय- उ.प्र.सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की रमाला सहकारी चीनी मिल्स लि.रमाला जनपद बागपत की पेराई क्षमता 2750 टी.सी.डी. से 5000 टी.सी.डी. तक करने एवं 27 मेगावाट कोजनरेशन संयन्त्र की स्थापना हेतु ऋण को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक,उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. के पत्र संख्या-846/ यूपीएफ/ परि.वित्त/रमाला-38/2018 दिनांक 17.10.2018, के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि0 की रमाला सहकारी चीनी मिल्स लि. रमाला जनपद बागपत की पेराई क्षमता 2750 टी.सी.डी. से 5000 टी.सी.डी. तक करने एवं 27 मेगावाट कोजनरेशन संयन्त्र की स्थापना हेतु शासनादेश संख्या-03/2018/596/46-2-18-45/17दिनांक 24.03.2018 द्वारा पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड (पी.आई.बी.) से उक्त परियोजना की अनुमोदित लागत रू.30225.53 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम किश्त के रूप में रू.8400.00 लाख की धनराशि ऋण के रूप में स्वीकृत की गई है। प्रश्नगत परियोजना हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में प्राविधानित धनराशि रू.15,000.00 लाख (रूपया एक अरब पचास करोड़ मात्र) के सापेक्ष रू.60.00 करोड (रूपया साठ करोड मात्र) की, प्रथम किश्त के रूप में निम्नलिखित शर्तो के अधीन ऋण के रूप में श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं तथा आपको अधिकृत करते हैं कि कृपया वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-1 के पैरा-223 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार इस धनराशि को राजकोष से आहरित कर उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. की रमाला सहकारी चीनी मिल्स लि. रमाला जनपद बागपत की पेराई क्षमता 2750 टी.सी.डी. से 5000 टी.सी.डी. तक करने एवं 27 मेगावाट कोजनरेशन संयन्त्र की स्थापना हेतु तत्काल उपलब्ध कराएँ:-

(i) राज्य सरकार की सामान्य व्यवस्थाओं के अन्तर्गत ऋण की अदायगी 10 वर्षों में की जायेगी।

(ii) ब्याज दर 14 प्रतिशत (11.50 + 2.50) प्रतिवर्ष वार्षिक होगी। मूलधन एवं ब्याज की नियमित अदायगी पर ब्याज दर में 2.50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी तथा प्रभावी ब्याज दर 11.50 प्रतिशत होगी।

(iii) मूलधन/ब्याज अदायगी में व्यवधान होने पर 2.50 प्रतिशत की छूट अनुमन्य न होगी तथा प्रभावी ब्याज दर 14 प्रतिशत देय होगी। दण्डात्मक ब्याज दर अदायगी की निश्चित तिथि से अदायगी की वास्तविक तिथि के ठीक पूर्व तक लागू रहेगी।

(iv) मूलधन एवं ब्याज की पहली किश्त की अदायगी की तिथि ऋण आहरण की पहली वर्षगांठ तिथि होगी। अग्रतर किश्तों की अदायगी इसी प्रकार एक वर्ष की समाप्ति पर पड़ने वाली वर्षगाँठ तिथि को की जानी होगी।

2- उक्त धनराशि उसी प्रयोजन के लिए व्यय की जाएगी, जिस हेतु स्वीकृत की गई है।

3- पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड (पी.आई.बी.)के बैठक दिनांक 17.11.2017 में प्रश्नगत परियोजना के परिक्षणोपरान्त दिये गए निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली तैयार किया गया है। अत: इसमें किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. उक्त ऋण के आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष) कार्यालय,महालेखाकार(लेखा)प्रथम,उ.प्र.इलाहाबाद को शासनादेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाउचर संख्या, तिथि, लेखा शीर्षक सूचित करते हुए भेजेंगे।

5- चीनी आयुक्त आहरण का प्रत्येक वर्ष के लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य कराएँ।

6- भविष्य में शासन द्वारा ऋण तभी स्वीकृत किया जाएगा जब यह सुनिश्चित हो जाए कि संघ ने इस प्रकार के वार्षिक लेखों का मिलान महालेखाकार कार्यालय के लेखों से करा लिया है, ताकि प्रत्येक अवशेष ऋण की स्थिति शासन को स्पष्ट रहें और ऋणी संस्था महालेखाकार कार्यालय से इस आशय का प्रमाण-पत्र शासन को अवश्य उपलब्ध करा देंगें।

7- इस शासनादेश में उल्लिखित धनराशि के आहरण वितरण तथा उपयोग की पूर्ण सूचना बाउचर तथा आहरण की तिथि सहित शासन को शीघ्र भेजी जाएगी। प्रधान प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी अनिवार्य रूप से शासन/महालेखाकार को प्रेषित किया जाएगा।

8- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन वित्त नियन्त्रक/ मुख्य/ वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगें। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक आदि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दे दी जाए।

9- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-24 के लेखाशीर्षक-6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज-04-चीनी-101-सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज-17-सहकारी चीनी मिल रमाला की विस्तारीकरण/आधुनिकीकरण एवं कोजनरेशन परियोजना हेतु-30-निवेश/ऋण के नामे डाला जाएगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-6/830 /दस-18 दिनांक 02, नवम्बर,2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(पवन कुमार गंगवार)
विशेष सचिव।

संख्या-18(1)/2018/1925(1)/46-2-2018 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।
2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
3- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि., लखनऊ।
4- वित्त (व्यय) नियन्त्रण अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-4
5- चीनी उद्योग अनुभाग-1/ 3
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कमल किशोर गुप्त)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली तैयार किया गया है। अत: इसमें किसी हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।